रांची में, गुरूवार, दिनांक 10 फरवरी, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) विभाग तथा परिवहन विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग को छोड़कर, अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1.	झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनाधिकार की मान्यता– Recognition of Forest Rights) अधिनियम, 2006 के तहत् Bharti Institute of Public Policy – Indian School of Business (BIPP-ISB) के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय MoU के संबंध में।	*1.* **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2.	झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर "आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना" करने एवं योजना की रूप–रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने के संबंध में।	*2.* **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

4. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों एवं इच्छुक किसानों/किसानों के समूह की भूमि में कृषक पाठशाला एवं परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना–सह–कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन हेतु रू० 6100.00 लाख (एकसठ करोड़) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

4. **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

6. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में संशोधन के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

7. झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली–2016 के अन्तर्गत 10.00 (दस) करोड़ रूपये के कायिक कोष (Corpus Fund) को वृद्धि कर रु0 20.00 (बीस) करोड़ किये जाने के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

8. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अन्तर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किये जाने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र रूपये 1/– की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(कारा निरीक्षणालय प्रभाग)

9.	सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली में प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को One Time क्षांत करने हेतु स्वीकृति।	*9.*	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

10.	झारखण्ड राज्य में कार्यरत 04 (चार) CIAT स्कूलों को आगामी 02 वर्षों (वित्तीय 2022–23 से 2023–24 तक) के लिए कार्यरत रखने के संबंध में।	*10.*	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11.	काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत आद्राडीह शाखा नहर (0.00 कि०मी० से 11.277 कि०मी०) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 3048.20 लाख (तीस करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	*11.*	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

12.	विभागीय अधिसूचना सं०–843, दिनांक–12.02.2021 द्वारा निर्गत जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लिपिक / लिपिक–सह–टंकक / टंकक संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–3848, दिनांक–10.08.2021 के द्वारा गठित "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हत्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में संशोधन के संबंध में।	*12.*	**स्वीकृत।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

13.	झारखण्ड पर्यटन नीति, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	*13.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

14.	गोड्डा जिलान्तर्गत "अगिया मोड़ (अगिया मोड़–सुन्दरपहाड़ी पथ पर)–पारगो–डामोडीह (गरदा पहाड़ी तक) (लंबाई–22.253 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 73,51,99,000/– (तिहत्तर करोड़ एकावन लाख निन्यानबे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*14.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

15.	राँची शहर अन्तर्गत "सिरमटोली चौक–राजेन्द्र चौक–मेकॉन गोलचक्कर (Mecon Round about) (कुल लंबाई–2.34 कि०मी०) पर चार लेन फ्लाईओवर (Flyover)/एलिवेटेड (Elevated) road cum आर०ओ०बी० (ROB) निर्माण कार्य (भू–अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 337,50,15,000/– (तीन सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख पन्द्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*15.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

16. गुमला जिलान्तर्गत "गुमला (NH-143A पर)– बाँसडीह–कांसीर (MDR-035 पर) पथ (कुल लंबाई–26.465 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 62,72,69,200/– (बासठ करोड़ बहत्तर लाख उनहत्तर हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

17. दुमका जिलान्तर्गत "गांधी चौक काठीकुण्ड (गोविन्दपुर–साहेबगंज पथ पर) –करबिन्धा (MDR-191 पर) पथ (कुल लंबाई–22.265 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" रू० 68,25,37,300/– (अड़सठ करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. जमशेदपुर जिलान्तर्गत "पिछली (पोटका–कुदादा मुख्य पथ पर)–संकरदा चाकरी–बाना (सुंदरनगर–नरवा मुख्य पथ पर)– डामूडीह चौंक (MDR-172 पर) पथ (कुल लंबाई–20.355 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 47,29,82,000/– (सैतालीस करोड़ उनतीस लाख बयासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

19. सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत "पिण्डराबेरा (आदित्यपुर–काण्ड्रा पथ पर)–बुरूडीह–केरला पब्लिक स्कूल मेन रोड (कुल लंबाई–16.331 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन एवं पुल निर्माण सहित)" हेतु रू० 25,02,66,000 / – (पच्चीस करोड़ दो लाख छियासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. पथ प्रमण्डल जामताड़ा अन्तर्गत "गोविन्दपुर–साहेबगंज पथ के कि०मी० 29.020 (करमदाहा) से कि०मी० 126.00 (निश्चितपुर) तक पथ (ए०डी०बी० बाईपास सहित) (कुल लंबाई–96.980 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 63,16,01,200 / –(तिरसठ करोड़ सोलह लाख एक हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

21. सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत "पातकुम (MDR-156) –ईचागढ़–पातपुर नहर–डुलसीडीह से लाबा पथ (कुल लंबाई–16.76 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 37,30,62,400 / –(सैंतीस करोड़ तीस लाख बासठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

22. पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व / अधीन सड़क के हस्तान्तरित / अधिग्रहित करने के संबंध में। *22.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

23. पाकुड़ जिलान्तर्गत "ईशाकपुर–(शैतानखाना मोड़) से मनिरामपुर–चाँदपुर (NH-133A पर) पथ एवं लिंक पथ (लंबाई–10.145 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 41,51,61,800/– (एकतालीस करोड़ एकावन लाख एकसठ हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

24. लोहरदगा जिलान्तर्गत "भंडरा (MDR-001 पर)–सेनहा (SH-08 पर) पथ (कुल लंबाई–23.518 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 64,64,40,900/– (चौसठ करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

24. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

25. बोकारो जिलान्तर्गत "चन्द्रपुरा (दुगधा) से भालमारा (कोदवाडीह) (MDR-073 पर) पथ एवं डी०वी०सी० कॉलोनी (चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन) लिंक पथ (कुल लंबाई–21.138 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 37,10,68,200/– (सैंतीस करोड़ दस लाख अड़सठ हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

25. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

26. झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में।

26. **स्वीकृत। साथ ही "झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2021" के स्थान पर "झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

वित्त विभाग

27. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 05–ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रू० 23465.84 लाख (दो सौ चौंतीस करोड़ पैंसठ लाख चौरासी हजार) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (रु0 23465.84 लाख) का 20% अर्थात रू० 4693.168 लाख (छियालीस करोड़ तिरानबे लाख सोलह हजार आठ सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

<u>वित्त विभाग</u>

28. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 03–वन विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रू० 13736.99 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख निन्यानवे हजार) मात्र के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

<u>वित्त विभाग</u>

29. राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि के संबंध में। *29.* **स्वीकृत।**

<u>वित्त विभाग</u>

30. वित्तीय वर्ष 2020–21 के राज्य वित्त लेखे भाग–I, II एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *30.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

<u>वित्त विभाग</u>

31. वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *31.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

32. झारखण्ड राज्य में आम निक्षेपकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा राशि की वापसी में व्यतिक्रम होने पर निक्षेपकर्त्ताओं को राहत दिलाने हेतु "झारखण्ड अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम" 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

32. **स्वीकृत। साथ ही "झारखण्ड अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2021" के स्थान पर "झारखण्ड अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम–2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

वित्त विभाग

33. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 14–ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रू० 5036.92 लाख (पच्चास करोड़ छत्तीस लाख बानवे हजार) मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (रु० 5036.92 लाख) का 20% अर्थात रू० 1007.384 लाख (दस करोड़ सात लाख अड़तीस हजार चार सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

33. **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

35. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति।

35. **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

36. झारखण्ड राज्यान्तर्गत 12500.00 लाख के अनुमानित अनावर्ती व्यय पर 125 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की घटनोत्तर स्वीकृति। *36.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

37. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध में। *37.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

38. डॉ० अनिल कुमार वर्णवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। *38.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

39. श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, रांची की झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्मिक, विभागीय अधिसूचना संख्या–02, दिनांक 01.01.2022 द्वारा की गयी नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *39.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

40. जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन के साथ–साथ ऑफलाईन निर्गत करने के संबंध में। *40.* **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

41. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत 24/10/2014) की नियम–2 सेवा का संवर्ग, नियम–3(ii) परिभाषाएँ, नियम–9(i) शैक्षणिक योग्यता, नियम–15 प्रशिक्षण, नियम–16 विभागीय परीक्षा एवं नियम–17(ख) सेवा संपुष्टि एवं नियम–22(iv) निरसन में संशोधन के संबंध में। *41.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

42. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण/पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण नीति, 2019 शिथिल करने के संबंध में। *42.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

43. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक एंव अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति। *43.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

44. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आदित्यपुर स्थित प्लाट नं०–06 के भू–खण्ड के आवासीय एवं व्यवसायिक विकास हेतु M/s Orbit Realty Infrastructure Ltd. के साथ संयुक्त सहभागिता के समझौते के संबंध में। *44.* **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

45. झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 में संशोधन के संबंध में। *45.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

46. वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए Omidyar Network India (ONI) द्वारा वित्त प्रायोजित Safe and Responsible Migration Initiative (S.R.M.I) के संदर्भ में, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार तथा Consortium-(1) Policy and Development Advisory Group (PDAG), (2) Partnering Hope Into Action Foundation (PHIA), (3) Centre for Migration and Development (CMID), (4) Bharti Institute of Public Policy at Indian School of Business (ISB) के बीच Memorandum of Understanding (MoU) की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *46.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

वाणिज्य–कर विभाग

47. अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क दर से संबंधित एक नयी अनुसूची को जोड़ने से संबंधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापन के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।
(कार्योपरांत स्वीकृति)

47. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

48. संचरण इकाई के अन्तर्गत 132 के०वी० डबल सर्किट जसीडीह–मधुपुर संचरण लाईन एवं 132 के०वी० डबल सर्किट जसीडीह–देवघर संचरण लाईन के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रू० 49.197 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

48. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

49. पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट (3x800MW) से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 2181.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

49. **इस शर्त के साथ स्वीकृत कि इस योजना के लिए Monitoring कोषांग गठित की जाय ताकि योजना लक्ष्यानुरूप ससमय पूर्ण हो सके।**

ऊर्जा विभाग

50. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत 400 के०वी०डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मूज कन्डक्टर पी०भी०यू०एन०एल० –पतरातू संचरण लाईन एवं दो अदद् 400 के०वी० लाईन बे के योजना लागत में वृद्धि के संबंध में।

50. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

51.	झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2023 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।	*51.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

52.	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के सुगम संचालन हेतु परिषद् के पी०एल० खाता से एक से अधिक अग्रिम निकासी (ए०सी०विपत्र) की स्वीकृति के संबंध में।	*52.* **स्वीकृत।**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

53.	Jharkhand State Wide Area Network (JharNet) परियोजना का 05 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित छः वर्ष एवं छः माह के अतिरिक्त संचालन के उपरान्त वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में Nomination के आधार पर पूर्व के एकरारनामा, दर एवं शर्त्तों के अधीन झारनेट सेवा प्रदाता, M/s UTL को दिनांक 01.02.2021 से 30.04.2021 (तीन महीने) तक के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कनेक्टिविटी सहित रू० 4.52 करोड़ (चार करोड़ बावन लाख) मात्र के व्यय पर अंतिम सेवा विस्तार करने की स्वीकृति के संबंध में।	*53.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

54. Jharkhand Municipal Park Maintenance Policy, 2021 की स्वीकृति के संबंध में।	*54.* **स्वीकृत। साथ ही "Jharkhand Municipal Park Maintenance Policy, 2021" के स्थान पर "Jharkhand Municipal Park Maintenance Policy, 2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

55. झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	*55.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

56. वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स HCL Trainging & Staffing Services Pvt. Ltd के द्वारा Placement Linked Skill Trainging के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति। (कार्योपरांत स्वीकृति)	*56.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

57. झारखण्ड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन के संबंध में। *57.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

58. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–418, दिनांक–10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति। *58.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

59. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली–2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। *59.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

60. पंचम झारखण्ड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र 25.02.2022 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *60.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

भवन निर्माण विभाग

61. Proposed Construction of Collectorate Building with Facilities at Gumla कार्य हेतु राशि रु0 50,77,68,000/– (पचास करोड़ सतहत्तर लाख अड़सठ हजार) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

61. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

62. चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में विधायक योजना अन्तर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

62. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

63. झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में।

63. **स्वीकृत। साथ ही "झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2021" के स्थान पर "झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

ऊर्जा विभाग

64. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" की संरचना में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

64. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

65. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में।	*65.* **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

66. राज्यान्तर्गत ढ़ीबरा डम्प में निहित अभ्रख खनिज के निष्पादन हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को प्राधिकृत करने के संबंध में।	*66.* **स्वीकृत।**

ह0/–
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड